छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षोडश सत्र अंक-10

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2023

(फाल्गुन 26, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03,

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 11.43 बजे स्थगित की जाकर 11.49 बजे, समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(पुनः प्रश्नकाल शुरू होते ही शासन के उत्तर को लेकर लगातार व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही पुनः 11.51 बजे स्थगित की जाकर 12.04 बजे, समवेत हुई।।)

(कुल 03) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 45 तारांकित एवं 68 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 04 जनवरी,2023, तथा

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, अल्पसंख्यक विकास मंत्री ने वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022,

पटल पर रखे।

3. पृच्छा

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा शून्यकाल में प्रतिपक्ष के सदस्यों के बोलते समय बीच-बीच में माननीय मंत्रीगणों द्वारा खड़े होकर बोलने पर आपत्ति की गई कि बिना नोटिस के शून्यकाल में बोलने की कभी परंपरा नहीं रही है । उन्होंने इस पर व्यवस्था की मांग की।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्यों को बोलने दिया जाए । बोलते समय बीच मे इंट्रप्ट न करें । सदन के संचालन में सहयोग करें ।

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा चिट फण्ड कंपनियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि चिट फण्ड कंपनियों के विषय पर पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है । गृह विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान आप सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय में अपनी बात रखी है। माननीय गृहमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी समय-समय पर इस संबंध में सभा में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है । अत: आप सभी माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन के विषय में प्रस्तुत विचार सुनने के पश्चात् विचारोपरांत मैंने इसे अग्राह्य कर दिया है।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि-आज की कार्य-सूची में 20 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के

पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी । संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

(1) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर द्वारा कोरोना काल मे प्राप्त राशि के उपयोग में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(2) श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य ने अनुसूचित जनजाति वर्ग की जमीन को गैर आदिवासियों को अंतरिम एवं लीज पर दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची के पद 3 के उप पद (03) से (20) तक की सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारें । उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

03. श्री कुलदीप जुनेजा
04. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
05. श्री अजय चन्द्राकर
06. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
07. श्री अजय चन्द्राकर
08. श्री अजय चन्द्राकर

09. श्री अजय चन्द्राकर

10. श्री धरमलाल कौशिक

11. सर्वश्री धनेन्द्र साहू, कुलदीप जुनेजा

12. श्री नारायण चंदेल

13. श्री अजय चन्द्राकर

14. श्री शिवरतन शर्मा

15. श्री शिवरतन शर्मा

16. श्री शिवरतन शर्मा

17. श्री शिवरतन शर्मा

18. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

19. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

20. डॉ. रेणु अजीत जोगी

5. सदन को सूचना

(1) माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के माननीय विधायकों के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा ग्राम सेरीखेड़ी रायपुर में आवासीय भू-खण्ड विकसित किया जाकर, आवंटन की कार्यवाही की जायेगी ।

इस हेतु विधानसभा में आज लॉबी स्थित कक्ष में हाऊसिंग बोर्ड के द्वारा एक कैंप आयोजित किया जा रहा है । समस्त पात्र माननीय सदस्य, जिन्हें भू-खण्ड आवंटित किया जाना प्रस्तावित है, कृपया संपर्क कर अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करें ।

(2) पंचम विधानसभा के समस्त माननीय सदस्यों का समूह छायाचित्र बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 को अपराह्न 1.30 बजे विधान सभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में लिया जाना है ।

आप समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि समूह छायाचित्र में कृपया अवश्य उपस्थित होवें ।

6. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आज दो महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होनी है, इसके अलावा अशासकीय कार्य भी संपन्न होने हैं।

इसलिए व्यवस्था यह बनाई गई है कि दोनों पक्षों के सदस्य संक्षिप्त में अपनी बातें रखें।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री चंदन कश्यप

(3) श्री रामपुकार सिंह ठाकुर

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. विनय जायसवाल, सदस्य, प्राक्कलन समिति ने समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

9. वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्य विधान मण्डल से संबंधित मांग **संख्या**-28, कृषि से संबंधित मांग **संख्या** 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग **संख्या**-14, मछलीपालन से संबंधित मांग **संख्या**-16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग **संख्या**-54, जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग **संख्या**-23, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग **संख्या**-45, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग **संख्या**-75, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग **संख्या**-57, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग **संख्या**30- एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग **संख्या**80- प्रस्तुत की।

मांग संख्या-28 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा **मांग संख्या**-13 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा **मांग संख्या**-14 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, **मांग संख्या**-16 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, **मांग संख्या**-54 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या**-23 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, **मांग संख्या**-45 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा,

श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, **मांग संख्या-75** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, **मांग संख्या-57** पर सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-30** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह **मांग संख्या-80** पर सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री दलेश्वर साहू,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

10. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- शुक्रवार के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित है । चूंकि अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की अनुदान मांगों पर चर्चा शेष है तथा माननीय मंत्री जी का जवाब भी होना है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के जवाब के पश्चात् अशासकीय कार्य लिया जायेगा । माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री की अनुदान मांगों को आगामी दिवस में लिया जायेगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

11. वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर मतदान(क्रमशः)

सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, राजमन वेंजाम, शिवरतन शर्मा, गुलाब कमरो, धर्मजीत सिंह, बृहस्पत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, धरमलाल कौशिक, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, रामकुमार यादव, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी,

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्य-सूची के पद क्रम-7 तक का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. अशासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021)

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कथन किया कि वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विधेयक का निर्माण विशेष समिति द्वारा कराया जा रहा है, जिसका प्रारूप विचाराधीन है । विधेयक प्रारूप पर राज्य एवं राज्य के बाहर सामाजिक तथा विधि-विशेषज्ञ से परामर्श उपरान्त समय सीमा में आगामी सत्र में सदन के समक्ष विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। उन्होंने माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा से आग्रह किया कि वे अशासकीय विधेयक वापस ले लें ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने अशासकीय विधेयक वापस लेने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की ।

अशासकीय विधेयक वापस हुआ ।

13. अशासकीय संकल्प

3. सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ राज्य में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्राकृतिक आपदा के समान मुआवजा राशि प्रदान किया जाये "

श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :- सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, धर्मजीत सिंह, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी,

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य को भविष्य में विचार करने का आश्वासन देते हुए संकल्प वापस लेने का आग्रह किया ।

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

4. सदन का यह मत है कि "प्रदेश में सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपये प्रतिमाह, 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500 रूपये प्रतिमाह, सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ की सभी विधवा परित्यक्तता महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाये "

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री पुन्नूलाल मोहले,

श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य को भविष्य में संकल्प पर विचार करने का आश्वासन दिया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

5. सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ राज्य में निवासरत मछुआरा समुदाय-केंवट, धीवर, कहार,मल्लाह जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये "

संकल्प प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के अनुपस्थित होने के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ।

1. सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ में सस्ते एवं सुगम सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जाये ।"

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प प्रस्तुतकर्ता सदस्य को भविष्य में विचार करने का आश्वासन देते हुए संकल्प वापस लेने का आग्रह किया ।

माननीय सदस्य ने संकल्प वापस लेने हेतु सहमति व्यक्त की।

सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

संकल्प वापस हुआ ।

2. सदन का यह मत है कि "बिलासपुर न्यायधानी की विद्युत लाईनों को पूर्णतः अण्डर ग्राऊंड किया जाये "

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं स्थिति स्पष्ट करते हुए माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया ।

माननीय सदस्य ने संकल्प वापस लेने हेतु सहमति व्यक्त की।

सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई ।

संकल्प वापस हुआ ।

रात्रि 8.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023 (फाल्गुन 29, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा